प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर*
दिनाँक 28.02.2026

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामलें में 01 अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 4700 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.02.2026 को माननीय न्यायालय ए0एसजे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्तों को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 4700 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-
वादी मुकदमा श्री रामतेज पुत्र बदलू निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 10.08.2013 को थाना बखिरा पर अभियुक्त पप्पू उर्फ हंसू पुत्र जगलाल निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे पिता बदलू की भैस इनके खेत में चली गयी थी। इसी बात को लेकर प्रतिवादी द्वारा मेरे पिता को लाठी डण्डा से काफी मारा पीटा गया,जिसके चलते उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-
मु0अ0सं0 452/013 धारा 304(1),323,504 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304(1) भा0द0वि0 के अपराध में 08 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रू0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 05 माह के कठोर कारावास तथा 700 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मानवता की जीत: पुलिस की सतर्कता से नवजात शिशु सकुशल बरामद, 07 अभियुक्त गिरफ्तार

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 5264 द्वारा मोटरसाइकिल फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत रउरापार से कालर द्वारा मोटरसाइकिल फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.कुसुम पत्नी जनार्दन 02. जनार्दन पुत्र रामसजन निवासी दलेलगंज थाना को0 खलीलाबाद जंनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल में 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 विजय कुमार पासवान, हो0चा0 शिवदास।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 256 वाहनों से 2,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 28.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 256 वाहनों से 2,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 28.02.2026 को कुल 07 अभियुक्तगणो को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना विवरण- दिनांक 09.02.2026 को वादिनी द्वारा थाना बेलहरकला पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 08.02.2026 को समय लगभग सायं 05:00 बजे, जब वादिनी नरायनपुर से बाजार कर जंगल के रास्ते अपने घर वापस जा रही थी और अपने गांव के निकट पहुँची ही थी, तभी रास्ते में पीछे से आए एक अज्ञात पुरुष एवं एक अज्ञात महिला ने वादिनी की गोद में मौजूद उसका लगभग 01 माह का नवजात शिशु छीन लिया तथा जंगल की ओर भाग गए। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 28/2026, धारा 140(1) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा टीम गठित कर नवजात शिशु की बरामदगी करने हेतु निर्देशित किया गया था।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 143(4),3/5 बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- कृष्णा यादव पुत्र स्व0 लवकुश यादव निवासी ओनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- प्रेमप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 राजबली सिंह निवासी ओनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- अभिनव उर्फ चन्द्रलोक पुत्र श्री जवाहर लाल निवासी बडगो थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- हरिओम पासवान पुत्र जनार्दन पासवान निवासी राउतपार थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर।
- विपिन भारती उर्फ कट्टा पुत्र जगदीश यादव निवासी अयचाकाट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- विनीत कुमार पुत्र श्री सतीश चन्द निवासी उमरी खुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- शेषनाथ तिवारी पुत्र स्व0 इंद्रजीत तिवारी निवासी सोनखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
- प्रियांशु दुबे पुत्र दिनेश कुमार दुबे निवासी अरईल थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरणः-

- नवजात शिशु
- एक लाख साठ हजार रुपये नगद
- एक अदद कार
- एक अदद मोटरसाईकिल

अपराधिक इतिहास

01. बलजीत यादव पुत्र पूरन मल यादव निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 03/2022 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 545/2024 धारा 331(2),351(3),352,74 बीएनएस थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 492/2025 धारा 305 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार अभियुक्त राजेश यादव द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी संगीता, मोहिनी जायसवाल के घर नौकरानी का काम करती है। मोहिनी ने बताया कि मेरे एक रिश्तेदार सत्यप्रकाश जायसवाल की शादी 10-12 वर्ष पूर्व हुई है, परन्तु उनके पत्नी को कोई बच्चा नही हो रहा है, अगर कोई नवजात शिशु दिलवा दो तो मै तुम्हे मुहमांगी कीमत दुंगी, इसी बात को लेकर मेरी पत्नी संगीता ने अपने बहन के लड़के पिन्टू से बात की थी, तो पिन्टू ने ग्राम जंगल बेलहर के रहने वाले फूलचन्द को एक माह पूर्व हुए नवजात शिशु को खरीदने हेतु कहा तो फूलचन्द ने पिन्टू को मना कर दिया तो पिन्टू ने उक्त बात मुझे तथा मेरी पत्नी संगीता को बताया। तब पैसे के लालच मे मैं तथा मेरी पत्नी एंव मेरे साढ़ू राजकुमार दिनांक 08.02.2026 को नरायनपुर पंहुचे वहां पर योगी बारी पुत्र रमेश निवासी छितौना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व पिन्टू मिले। उसी समय फूलचन्द की पत्नी अपने नवजात बच्चे व तीन साल की एक लड़की के साथ बाजार आयी थी तो वहीं से हम लोगो ने योजना बनाकर मोटरसाईकिल से निकले तथा जंगल के पहले राजकुमार गाड़ी खड़ी कर रुक गया तथा मैं व मेरी पत्नी जंगल में आगे जाकर आड़ लेकर छिप गये कुछ देर बाद फूलचन्द की पत्नी जब हम लोगो के पास पहुंची तो नवजात शिशु उनसे छीन कर भाग गये। आगे आकर राजकुमार मोटरसाईकिल के साथ खड़ा था। हम तीनो लोग उसी मोटरसाईकिल से नवजात शिशु को लेकर राजकुमार के घर मैलानी जाकर रातभर रुके। मेरी पत्नी ने मोहिनी जायसवाल को बताया कि आपका काम हो गया है आप पैसा देकर के बच्चे को ले जाईये। बालू शासन पुल के पास नवजात शिशु को मोहिनी जायसवाल, चन्दन व अपने रिश्तेदार सत्यप्रकाश जायसवाल के साथ नवजात शिशु को लेने आयी थी। नवजात शिशु व पैसे का लेन देन कर रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 विवेक कुमार राय, हे0का0 अनूप कुमार राय, का0 अभिषेक सिंह, का0 दीपक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 वीर बहादुर यादव, का0 शुभम सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 अरूण हलवाई।
- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे,।